न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
22/2022	अपील	21.04.2022	10.08.22

केदार पुत्र नारायण जाति खारवाल निवासी सुमेल तहसील बामनवास।

–अपीलार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बरनाला, तहसील बामनवास।

–रेस्पोडेण्ट–

निर्णय **दिनांक:10.08.2022**

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत उनवानी सरकार बनाम केदार, मुकदमा नं0 203/22 में नायब तहसीलदार, बरनाला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. अपील मीमो के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को पटवारी हल्का सुमेल की रिपोर्ट के आधार पर भूमि हाल ख0नं0 1165 रकबा 0.10 हेक्टर पर अपीलार्थी का कब्जा दर्शाते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी किया गया, जिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलार्थी को उक्त आशय का नोटिस दिया गया तथा दिनांक 23.02.2022 को तहसील में उपस्थित होने के लिये कहा गया, उक्त नोटिस की पालना मे अपीलार्थी दिनांक 23.02.2022 को न्यायालय नायब तहसीलदार, बरनाला के यहां उपस्थित हुआ। आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं अपीलार्थी से कहा गया कि उक्त सरकारी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेना वरनां तुम्हें जेल जाना पडेगा। इस पर अपीलार्थी ने कहा कि अपीलार्थी का मौके पर किसी प्रकार की सरकारी भूमि पर कब्जा नही हैं, बल्कि प्रकरण में दर्ज सरकारी भूमि के पास में अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि हैं जिसकी आड में यह झूंठी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा बनाई गयी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अपना जवाब व साक्ष्य पेश हेतु समय चाहा गया, बावजूद इसके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उसके विरूद्ध उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2022 को उसी दिन पारित कर दिया गया। जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी भी नही रही परन्तु अचानक दिनांक 07.04.2022 को पुलिस थाने से वारंट लेकर आए पुलिसवाले ने बताया। उस समय अपीलार्थी आवश्यक कार्य से बाहर गया हुआ था। जब अपीलार्थी वापस घर आया तब अपीलार्थी के घर वालो ने इसके संबंध मे बताया, तब अपीलार्थी द्वारा उक्त संबंध में उप तहसील, बरनाला में उपस्थित होकर जानकारी की गयी।

3. प्रकरण मे आगे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने ही निर्णय पारित किया है तथा उक्त निर्णय की कारण पुलिस अपीलार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही हैं तथा गिरफ्तार करने पर अमादा हैं।

4. प्रकरण मे आगे तथ्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी नही रही परन्तु अचानक दिनांक 07.04.2022 को पुलिस द्वारा वारंट लेकर आने पर ही सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, बरनाला के यहां से दिनांक 08.04.2022 को निर्णय की नकल प्राप्त की गई, जिससे अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। ताहम धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा रहा है।

5. अपील मे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मु0नं0 203/22 में पारित निर्णय दि0 23.02.2022 उनवानी सरकार बनाम केदार को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को न्याय दिलाया जावें।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

7. बहस अधिवक्ता अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता केवल पटवारी द्वारा झूंठी रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी जांच के राजनैतिक दबाब के कारण वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जबकि वर्तमान मे उक्त भूमि पर उसका कोई कब्जा भी नही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

8. हमने अपील एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी पर सूक्ष्म रूप से मनन किया।

9. प्रार्थना पत्र तहत् धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपील अपीलार्थी इस शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अपीलार्थी द्वारा उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाया जावेंगा। तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, बरनाला को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी भी ,किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि या संपत्ति पर अतिक्रमण नही करेंगा। नायब तहसीलदार, बरनाला स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगें कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बरनाला का उक्त उनवान मे पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें। अन्यथा कथित निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करेंगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नियमानुसार नायब तहसीलदार, बरनाला को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी भी, किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि/संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार, बरनाला स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करें कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। निर्णय पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बरनाला का निर्णय दिनांक 23.02.2022 सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.08.22 को सरे इजलास सुनाया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)